न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 86 / 2019 दायर दिनांक 09.10.2019

उनवान

1. पन्नालाल पिता नारायण मुतबन्ना हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. घीसूलाल पिता नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. शंकरलाल पिता नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मांगीबाई पत्नि स्व० रतनलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. कृष्णाकुमारी पुत्री रतनलाल जाति गाडरी आयु नाबालिग बविलायत सरंक्षक माता मु० मांगीबाई पत्नि रतनलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. लेहरूलाल पिता स्व० रतनलाल जाति गाडरी आयु नाबालिग बविलायत माता श्रीमति मांगीबाई पत्नि रतनलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रोहित पिता स्व० भैरूलाल जाति गाडरी आयु नाबालिग बविलायत संरक्षक दादा नारायण पिता गंगाराम गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवजी पिता प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
3. रतन पिता कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. मिठू पिता कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भैरूलाल पिता प्रताप जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. सीमा पत्नि स्व० भैरूलाल जाति गाडरी नातायत पत्नि निवासी हाल मुकाम सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द। (विलोपित)

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 17.12.2024

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि यह कि मौजा लाखा का खेड़ा तहसील कपासन में

आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.44 हैक्टर एवं 390 रकबा 0.70 हैक्टर स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या छह के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या छः अन्यत्र जगह नाते चली गई है परन्तु खाते में नाम होने से आवश्यक पक्षकार होने से उसको प्रतिवादी बनाया गया है। उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा हम वादीगण का होकर हिस्से अनुसार खेती करते है। प्रतिवादी संख्या छह के हिस्से की जमीन पर कब्जा उसके पुत्र रोहित वादी संख्या सात का कब्जा है।

यह कि वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे शुदा आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में मवेशी घुसा कर नुकसान पहुँचा देते है एवं तारो की बाड को भी हानि पहुॅचा देते है एवं वादीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा होते है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत पाँच तक के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने में हम वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मुल्यो में नहीं की जा सकेगी एवं अनावश्यक मुकदमे बाजी पक्षकारान के मध्य बढ जायेगी।

यह कि दिनॉक 03/10/2019 को सॉय 05 बजे की घटना है कि हम वादीगण आराजीयात की देखभाल करने गये तो देखा कि प्रतिवादीगण संख्या एक से पाँच ने आराजीयात में मवेशी घुसा रखे थे जिनको हम वादीगण ने बाहर निकाले और प्रतिवादीगण को ओलमा दिया तो लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनॉक 03/10/2019 को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि–

– पक्ष वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा लाखा का खेड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.44 हैक्टर व 390 रकबा 0.70 हैक्टर में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी कर आराजीयात एवं उसमें खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहूँचावे, मवेशी आदि नहीं घुसावे एवं तारो की बाड को नुकसान नहीं पहुॅचावे। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से ही करावे।

– हर्जा खर्चा मुकदमा, मेहन्ताना वकील आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

– अन्य कोई दाद जो मुफीद वादी हो एवं न्यायालय आप द्वारा वादी को दिलाया जाना न्यायोचित हो वह भी दिलाई जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के विरूद्ध पूर्व में वकील वादी द्वारा आदेशिका पर हस्ताकर कर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के निवेदन से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 03.02.2023 को जवाब बन्द किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं किये जाने से आज दिनांक 17.12.2024 को साक्ष्यवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा उक्त खातेदारी व कब्जे अधिकार की आराजीयात में मवेशी घुसा कर नुकसान पहुँचा देते है एवं तारो की बाड को भी हानि पहुॅचा देते है एवं वादीगण द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमदा होते है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत पाँच तक के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा लाखा का खेड़ा तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.44 हैक्टर एवं आराजी संख्या 390 रकबा 0.70 हैक्टर स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी कर आराजीयात एवं उसमें खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहूँचावे, मवेशी आदि नहीं घुसावे एवं तारो की बाड को नुकसान नहीं पहुॅचावे। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन